रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 1972/वैशाख 4, 1894
No. 233] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 4, 1972/VAISAKHA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 4th May 1972

S.O. 333(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of opinion that Smith Stanistreet and Co., Limited, Calcutta, an industrial undertaking in respect of which an Investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, New Delhi (hereinafter referred to as Authorised Controller), to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Smith Stanistreet and Co., Limited, Calcutta, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.

(ii) The Authorised Controller shall hold office for two years from the date of publication in the Official Gazette of this order:

Provided that the Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of two years commencing on the date of its publication in the Official Gazette

[File No. 4/2/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 मई, 1972

का० आ० 323 (अ)/18ए/आई० डी० आर० ए०/72.—यतः केन्द्रीय सरकार का विचार है कि एक औद्योगिक उपक्रम, स्मिथ स्टनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, जिसके संबंध में औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अन्तर्गत अन्वेषण किया गया है, का प्रबन्ध ऐसी पद्धति से किया जा रहा है जो सरकारी हितों के लिए बहुत हानिकारक है ;

अतः, अब, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 18ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों के अन्तर्गत, उक्त उपक्रम अर्थात्, स्मिथ स्टनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, के सम्पूर्ण प्रबन्ध को ग्रहण करने के लिए इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली (जो बाद में प्राधिकृत नियन्त्रक के रूप में सम्बोधित होगा) को प्राधिकृत करती है।

(i) कि प्राधिकृत नियन्त्रक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये समस्त निदेशों का अनुपालन करेगा।

(ii) कि प्राधिकृत नियन्त्रक इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए यह पद धारण करेंगे :

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत नियन्त्रक की नियुक्ति का पर्यवसान करना आवश्यक समझती है ; तो वह उक्त अवधि से पहले ही ऐसा कर सकती है।

2. यह आदेश सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों कि अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा।

[सं० फा० 4/2/72-सी०यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972